बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 3 सत्र- 188वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
बुधवार, दिनांक 28.2.2018 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारून रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 5.30 अपराह्न तक

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार एवं डा. दिलीप कुमार चौधरी ने अपने-अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि पहले दिलीप बाबू का कार्यस्थगन है, इसलिए वे पहले बोलेंगे।

तदुपरांत माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान तथा पेंशनभोगियों के पेंशन का भुगतान समय पर नहीं होने तथा होली में भी भुगतान नहीं होने के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया, जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री केदारनाथ पाण्डेय, प्रो. नवल किशोर यादव, प्रो. संजय कुमार सिंह, श्री संजीव श्याम सिंह तथा श्री देवेश चन्द्र ठाकुर आदि माननीय सदस्यों ने भी किया। आसन की ओर से माननीय उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी सहित चार अन्य माननीय सदस्यों से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति के आधार संख्या-4, 5, 6 एवं 22 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

इस अवसर पर माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी सहित उनके कार्यस्थगन के समर्थन में कांग्रेस के माननीय सदस्यगण तथा सीपीआई के माननीय सदस्य, प्रो. संजय कुमार सिंह सदन वेश्म में चले आये तथा जोर-जोर से नारेबाजी करने लगे। जबकि माननीय सदस्य, श्री अशोक चौधरी अपने स्थान पर बैठे रहे। आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने आग्रह किया कि आप लोगों की बात सुन ली गई, परंतु अनुरोध के बावजूद माननीय सदस्यगण अपने स्थानों पर नहीं गए तथा नारेबाजी करते रहे। थोड़ी देर के पश्चात् माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर चले गए।

माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने अपने कार्यस्थगन के माध्यम से आसन का ध्यान मुजफ्फरपुर में महादलित परिवार की बच्ची के साथ बलात्कार, वैशाली में दो व्यवसायियों की हत्या तथा पटना में भी हुई हत्या सहित कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में आकृष्ट किया, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्तावों के निष्पादन की प्रक्रिया की कंडिका-6 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार सहित उनके प्रस्ताव के समर्थन में राजद के माननीय सदस्यगण पोस्टर लहराते हुए सदन वेश्म में आकर नारेबाजी करने लगे जबकि माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान से खड़े होकर बोलती रहीं।

माननीय उप सभापति महोदय ने आसन से खड़े होकर अनुरोध किया जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, कृपया अपने स्थान पर चले जाएं, परंतु माननीय सदस्यगण यथावत् नारेबाजी करते रहे।

2. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 11, 13, 14, 15 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 12 स्थगित हुआ।
प्रश्न संख्या- 17 सदन पटल पर रखा गया।
प्रश्न संख्या- 16, 18, 19 अनागत हुए।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 13 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई करें।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 20, 21, 28, 29, 32 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 अनागत हुए।

3. परिनियत कार्य

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-66 के तहत राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य का निर्वाचन

आसन के निदेश पर सचिव ने सदन को सूचना दी कि समाज कल्याण विभाग (सामाजिक सुरक्षा एवं नि:शक्तता निदेशालय) से प्राप्त पत्र सं.-2/सा.सु.-बि.यो.-05/2017 स.क.-171 दिनांक-07.02.2018 निम्न प्रकार है -

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-66 (2) के तहत दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राज्य सलाहकार बोर्ड के गठन किये जाने का प्रावधान है। जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक-1520 दिनांक 23.10.2017 के माध्यम से राज्य सलाहकार बोर्ड के गठन हेतु अधिसूचना जारी की गई है। राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में बिहार विधान मंडल के माननीय तीन सदस्य को रखा गया है, जिनमें से एक माननीय सदस्य का निर्वाचन बिहार विधान परिषद् द्वारा किया जाना है।

माननीय सभापति महोदय द्वारा पुकारे जाने पर माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव ने प्रस्ताव किया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-66 (2) के तहत राज्य सलाहकार बोर्ड के गठन के निमित्त विधान परिषद् के एक सदस्य के निर्वाचन हेतु माननीय सभापति को प्राधिकृत किया जाय। इसपर सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

इस दौरान राजद के माननीय सदस्यगण सदन वेश्म से नारेबाजी करते रहे, प्रत्युत्तर में सत्तापक्ष के माननीय सदस्यगण भी नारेबाजी करने लगे। सदन के व्यवस्थित नहीं होने की स्थिति में आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने सदन को 2.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

(अंतराल)

4. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री गुलाम रसूल द्वारा केन्द्रीय सचिवालय के तर्ज पर विधान मंडल एवं संलग्न सचिवालय में कार्यरत कर्मियों के पदनाम में बदलाव करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, श्री केदारनाथ पाण्डेय द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग में समायोजित विद्यालय सेवा बोर्ड के कर्मियों को पूर्व की सेवा की गणना कर लाभ दिए जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

3. माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार के स्थान पर आसन के निदेश पर माननीय सदस्य श्री संजीव कुमार सिंह द्वारा बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत मामलों के निष्पादन एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

4. माननीय सदस्य, श्री सोनेलाल मेहता द्वारा खगड़िया जिला में निबंधन पर लगी रोक समाप्त करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

5. माननीय सदस्य, श्री श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव द्वारा नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत द्वारा क्रियान्वित 15 लाख से कम के प्राक्कलित राशि वाली योजनाओं का क्रियान्वयन विभाग से कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री सुरेश कुमार शर्मा ने वक्तव्य दिया।

5. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए -

1. श्री रजनीश कुमार

(माननीय सदस्य के भाषण के बीच ही राजद के माननीय सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया परंतु भाषण समाप्त होने के पश्चात् अपने स्थानों पर लौट आए।)

आसन का नियमन

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि जिनका नाम पुकारा जाएगा, उन्हीं की बातें कार्यवाही में आएंगी, अन्य बातें नहीं आएंगी।

2. श्री सतीश कुमार
3. श्री केदारनाथ पाण्डेय

आसन का सहमति एवं अनुरोध

माननीय उप सभापति महोदय ने माननीय सदस्य के भाषण के बीच में उनसे सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि जैसी कि मैंने आपसे भी चर्चा की थी, अगर सबलोगों का सहमति होती है तो हम एक दिन समय निर्धारित करेंगे कि हमारे विधान परिषद् के माननीय सदस्यों की प्रजातंत्र और सदन में

क्या भूमिका होनी चाहिए, इसपर एक विशेष वाद-विवाद कराने की इच्छा हम रखते हैं। यह हम प्रस्ताव लाएंगे, आपकी जो चिंता है, उसपर हम भी चिंतित हैं। आज प्रजातंत्र में इस बात की बहुत आवश्यकता पड़ रही है कि प्रजातंत्र का जो मंदिर है, ये कैसे सुरक्षित रहे।

4. श्रीमती राबड़ी देवी

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यगण सदन से उठकर चले गए।)

5. श्री दिलीप कुमार चौधरी
6. श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव

वाद-विवाद के उपरांत सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार ने वक्तव्य दिया।

6. सदन का समय बढ़ाया जाना

माननीय मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बीच ही माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, श्री संजय कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि शेष कार्यों के संपादन होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए, सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

7. आसन की सूचना

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने सदन को यह सूचित करने की कृपा की कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय सदस्य, डा. रामवचन राय द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव एवं माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार के अनुसमर्थन के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य, श्री केदारनाथ पाण्डेय ने अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लिया। माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावों को सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया एवं माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लिया।

तदुपरांत माननीय सदस्य, डा. रामवचन राय द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव कि "महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिनांक 26.2.2018 को विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण करने की जो कृपा की है, उसके लिए परिषद् के सदस्य उनके कृतज्ञ हैं", सदन के समक्ष रखा गया, जो सर्वसम्मति से सदन द्वारा स्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात् माननीय उप सभापति महोदय सदन को सूचित करते हुए कहा कि इस अभिगृहित प्रस्ताव की एक प्रति मेरे द्वारा महामहिम राज्यपाल को भेज दी जाए।

8. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री राजेश राम
2. प्रो. संजय कुमार सिंह

3. डा. संजीव कुमार सिंह
4. श्री सतीश कुमार
5. श्री राधाचरण साह
6. श्री शिवप्रसन्न यादव
7. श्री सी.पी. सिन्हा

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

9. आसन द्वारा घोषणा एवं अनुरोध

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने सदन में घोषणा की कि बिहार विधान परिषद् सभागार में दिनांक-4.3.2018 को चंपारण एग्रेरियन बिल-1918 की शत्-वार्षिकी पर संगोष्ठी आयोजित है, इस संबंध में एक आग्रह पत्र, निमंत्रण पत्र विधान मंडल के दोनों सदन के माननीय सदस्यों को भेजा गया है। इस संगाष्ठी में आप सभी लोगों से आग्रह है कि भाग लेने का कष्ट करेंगे और 11.30 पूर्वाह्न में शामिल हों। इसमें महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और विधान सभा के माननीय अध्यक्ष भी रहेंगे। सभी माननीय मंत्रिगण, सभी सदस्यगण, कार्यक्रम के बाद महामहिम के साथ भोजन है।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक सोमवार, दिनांक 5.3.2018 को
11.00 पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

28/2/2018

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 343 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 28.2.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार 28-2-2018

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।